कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केन्द्र (सर्व शिक्षा अभियान) अलीराजपुर म.प्र.

क्र. ......757....... / जिशिके / स्थापना / 2017 / .... अलीराजपुर, दिनांक ..12.. / 05 / 17

विज्ञप्ति

जिला शिक्षा केन्द्र अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान तहत सहायक परियोजन समन्वयक (आकादमिक, कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन, ई.एण्ड.आर., बालिका शिक्षा), खण्ड स्त्रोत समन्वयक, खण्ड आकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर कार्यालय समय में अवकाश दिवस को छोडकर कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र, डाईट परिसर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के उपर जिला अलीराजपुर को सीधें अथवा रजिस्टर्ड डाक पत्र द्वारा प्रस्तुत कर सकेगे। पद व पदो की योग्यता से संबंधित विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	सेवा का प्रकार	निर्धारित योग्यता
1	2	3	4	6
1	सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक)	1	प्रतिनियुक्ति	➢ व्याख्याता स्कूल शिक्षा / आदिवासी विकास विभाग अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक ➢ बी.एड. उपाधि। ➢ एम.एड की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता। ➢ अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि सें सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके। ➢ शिक्षा कें प्रति रूचि व लगन। ➢ आयु सीमा–अधिकतम 48 वर्ष।
2	सहायक परियोजना समन्वयक (कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन)	1	प्रतिनियुक्ति	➢ व्याख्याता स्कूल शिक्षा / आदिवासी विकास विभाग अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक ➢ बी.एड. उपाधि। ➢ एम.एड की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता। ➢ समुदाय कें साथ कार्य करने का अनुभव। ➢ अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि सें सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके। ➢ शिक्षा कें प्रति रूचि व लगन। ➢ आयु सीमा–अधिकतम 48 वर्ष।
3	सहायक परियोजना समन्वयक (ई.एण्ड.आर.)	1	प्रतिनियुक्ति	➢ व्याख्याता स्कूल शिक्षा / आदिवासी विकास विभाग अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक ➢ बी.एड. उपाधि। ➢ एम.एड की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता। ➢ अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि सें सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके। ➢ शिक्षा कें प्रति रूचि व लगन। ➢ स्नातकोत्तर उपाधि (समाज–शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र) ➢ आयु सीमा–अधिकतम 48 वर्ष।

4	सहायक परियोजना समन्वयक (बालिका शिक्षा)	1	प्रतिनियुक्ति	➢ व्याख्याता स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अ ➢ बी.एड. उपाधि। ➢ अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए ता व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके। ➢ बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव। ➢ महिला को प्राथमिकता। ➢ शिक्षा के प्रति रूचि व लगन। ➢ आयु सीमा–अधिकतम 48 वर्ष।
5	विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक	6	प्रतिनियुक्ति	➢ व्याख्याता स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक ➢ डी.एड./बी.एड./एम.एड. उपाधि। ➢ अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क स्थापित कर सके। ➢ आयु सीमा–अधिकतम 48 वर्ष।
6	खण्ड आकदमिक समन्वयक (प्रत्येक विकास खण्ड में 05 पदों में से 02 विज्ञान संकाय, 02 भाषा जिसमें से 01 अनिवार्य रूप से अंग्रेजी और 01 सामान्य विज्ञान संकाय का)	30	प्रतिनियुक्ति	➢ उच्च श्रेणी शिक्षक/अध्यापक ➢ आयु दिनांक 01.01.2017 को 49 वर्ष से अधिक न हो। ➢ संबंधित के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच, अपराधिक प्रकरण एवं लम्बें समय से लगातार अनुपस्थित की शिकायत आदि प्रचलित न हो। ➢ प्रतिनियुक्ति/निर्देशन अवधि–अधिकतम चार वर्ष।
7	जनशिक्षक	118	प्रतिनियुक्ति	➢ उच्च श्रेणी शिक्षक/अध्यापक ➢ आयु दिनांक 01.01.2017 को 49 वर्ष से अधिक न हो। ➢ संबंधित के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच, अपराधिक प्रकरण एवं लम्बें समय से लगातार अनुपस्थित की शिकायत आदि प्रचलित न हो। ➢ प्रतिनियुक्ति/निर्देशन अवधि–अधिकतम चार वर्ष।

लागू शर्ते :–

1. इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र विस्तृत विवरण के साथ (बायोडाटा) तात्कालीन फोटो लगाकर आवेदन करेगे, जिस पर वांछित प्रमाण–पत्र शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर निर्धारित तिथि तक जिला शिक्षा केन्द्र अलीराजपुर में प्रस्तुत करेगे।
2. प्रतिनियुक्ति अवधि की सेवायें अधिकतम 03 वर्ष के लिए की ही होगी एवं प्रतिनियुक्ति अवधि में सेवाएं समान सामर्थ्य में ली जायेगी। किसी भी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नही होगा।
3. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की नियुमित तीन माह के उपरान्त कामकाज की समीक्षा की जाएगी तथा काम संतोषजनक नही पाये जाने पर प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. अध्यापक संवर्ग की सेवायें प्रतिनियुक्ति पद लियें जाने पर म.प्र. शासन, स्कूल शिक्ष विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–45/2010/20–1 दिनांक 26/12/2011 में उल्लेखित सेवा शर्ते लागू होगी।
5. विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा केन्द्र अलीराजपुर से प्राप्त की जा सकती है।
6. पदो की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
7. किसी भी विवाद की स्थिती मे कलेक्टर एवं मिशन संचालक सर्व शिक्षा अभियान जिला शिक्षा केन्द्र अलीराजपुर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. निर्धारित तिथि के पश्चात् सीधे अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त आवेदनो पर विचार नही किया जायेगा।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर म.प्र.